न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.25 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 87)	03.06.2024	29.07.2025

सोहनलाल आ. नाथूलाल जाति माली,
निवासी ग्राम बहादुरपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।

— अपीलान्ट

बनाम

1. घनश्याम पुत्र मोहनलाल जाति मीना,
   निवासी मकान नं. 2–सी–30, विकास नगर, बून्दी जिला बून्दी।
2. दीपा पुत्री मोहनलाल जाति मीना,
   निवासी मकान नं. 2–सी–30, विकास नगर, बून्दी जिला बून्दी।
3. नरेश पुत्र मोहनलाल जाति मीना,
   निवासी मकान नं. 2–सी–30, विकास नगर, बून्दी जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 3 की ओर से श्री दयाकृष्ण विजय, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 04.01.1978 (वास्तविक दिनांक 23.09.1975) ग्राम बहादुरपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण आवंटी लखा वल्द मारू मीना निवासी बहादुरपुरा को गैर खातेदारी से खातेदार दर्ज किये जाने बाबत स्वीकार किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 25/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/87 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 की ओर से दिनांक 10.12.24 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पो. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज निर्णय में सहायक सिद्ध हो सकते है, ऐसे में न्यायहित में उभयपक्ष के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. स्वीकार किये जाकर संलग्न दस्तावेज को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिनांक 07.07.2025 प्रदान किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाकेग्राम बहादुरपुरा, तहसील व जिला बून्दी में स्थित है। अपीलांट व ग्रामवासी अपने खाते की कृषि भूमियों में आने–जाने, ट्रेक्टर ट्रोली आदि कृषि उपकरण लाने ले–जाने के लिए सरकारी सिवायचक रास्ते की भूमि खसरा सं.194 रकबा 10 बिस्वा, खसरा सं.187 रकबा 03 बिस्वा व खसरा सं. 189 रकबा 02 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 15 बिस्वा वाकेग्राम बहादुरपुरा उर्फ धोला देवरा में होकर सैकडों वर्षो से निरन्तर बिना रोक टोक शांतिपूर्वक आते जाते रहे है। उक्त खसरा नम्बरान के पुराने खसरा संख्या 74 रकबा 15 बिस्वा है जो सेटलमेंट से पूर्व जमाबंदी संवत 2017 से 2020 में रास्ता मार्ग के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त रास्ते की भूमि खसरा सं. 74 के समीपवर्ती भूमि खसरा सं. 75 मिन में से 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि को एक व्यक्ति लखा आ. मारू जाति मीना निवासी बहादुरपुरा ने मिसल सं. 27 दिनांक 19.05.1960 को आवंटन करवा लिया है। जिसे उपखण्ड अधिकारी बून्दी द्वारा दिनांक 30.03.1972 को खातेदारी में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। किन्तु आवंटी लखा की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में रेस्पो.सं.1 लगायत 3 उक्त भूमि के खातेदार दर्ज है जिन्होने उक्त सार्वजनिक रास्ते की भूमि खसरा सं. 74 के नये खसरा नं. 194 रकबा 10 बिस्वा को भी आवंटित भूमि खसरा संख्या 75 मिन का पार्ट नहीं होते हुये भी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत करके बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपने नाम इन्तकाल संख्या 17 दिनांक 04.01.1978 खुलवाकर खाते में दर्ज करवा लिया है, जबकि रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने से

जिला कलेक्टर; बून्दी

इसको किसी के खाते में दर्ज किया जाना विधिविरूद्ध है। जमाबंदी संवत 2032 से 2035 के खाता सं. 59 में खातेदार लखा वल्द मारू के खाते में दिनांक 27.04.77 को तहसीलदार बून्दी द्वारा ''खसरा नं.194 रकबा 10 बिस्वा पुराने खसरा नं. 74 का मिलान क्षेत्रफल से बनता है, जबकि ख.नं. 75 का आवंटन हुआ था, पुनः यह 10 बिस्वा रकबा कम किया जाना है, मौके की जांच की जानी है'' का नोट अंकित किया हुआ है, लेकिन बाद के राजस्व रिकार्ड में इसकी पालना नहीं की गई। दिसम्बर,2022 को जब रेस्पो.सं.1 लगायत 3 द्वारा अन्य काश्तकारों को उक्त रास्ते की भूमि में होकर आने जाने में अवरोध पैदा किया, तब ग्रामवासियों द्वारा इसका कारण पूछा गया तो रेस्पो. द्वारा उक्त भूमि उनके खाते में दर्ज होना बताया गया। इस संबंध में अपीलांट ने जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की। उक्त नकलों के अवलोकन से नामान्तकरण संख्या 17 दिनांक 04.01.1978 मृतक खातेदार लखा आ. मारू जाति मीना के वारिसान के पक्ष में खोले जाने की जानकारी हुई। नकले प्राप्त करने के पश्चात अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी से उक्त रास्ते की भूमि के नामान्तरकरण को निरस्त करवाने के लिए मई, 2024 के अन्तिम सप्ताह में निवेदन किया गया, किन्तु उनके द्वारा इस न्यायालय में अपील करने का परामर्श दिये जाने पर दिनांक 24.05.2024 को यह अपील श्रीमान के समक्ष बिना किसी देरी के मध्य अवधि प्रस्तुत की गई। फिर भी यदि किसी कारणवश देरी मानी जावे तो न्यायहित में देरी कन्डोन किये जाने एवं अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण किया जाकर खसरा सं. 194 की भूमि राजस्व रिकार्ड में पूर्वानुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलांट ने नामान्तरकरण विषयक भूमि को रास्ते की भूमि होना बताया है तथा उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 19.05.1960 को लखा आ. मारू मीना को किया जाना तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण से आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाना अपीलांट द्वारा अपील में स्वीकार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में खातेदार लखा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त करते ही तत्समय ही रास्ता अवरूध हो जाने से इसकी जानकारी अपीलांट को हो चुकी थी। इसके बावजूद करीब 50 साल तक अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रही हो, यह कतई विश्सनीय नहीं है जबकि रास्ता अवरूध होते ही अपीलांट द्वारा राजस्व रिकार्ड की जानकारी किया जाना स्वाभाविक है। अपीलांट एवं उसके गिरोह के कुछ लोगों द्वारा रेस्पोडेंटस की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि खसरा सं.194 पर जबरदस्ती रास्ता कायम करने को आमादा होने पर रेस्पोडेंटस द्वारा ग्राम पंचायत हट्टीपुरा वगैरहा के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर बून्दी में दिनांक 28.03.

अतिरिक्त कलक्टर, बून्दी

2003 को पेश किया था, जो दिनांक 31.08.2005 को डिक्री किया गया। तत्पश्चात अपीलांट तथा उसके साथियों ने दिनांक 08.02.2022 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश बून्दी में वाद संख्या 65/2022 पेश किया, जो विचाराधीन है। अपीलांट को विवादित भूमि के नामान्तरकरण की जानकारी करीब 20 वर्षो से ज्यादा समय से है। अपीलांट ने तथ्यों को छिपाकर मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जो सर्वथा मियाद बाहर होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु काफी विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण नही बताया गया। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पो.1 लगायत 3 द्वारा बहस मेरिट पर निवेदन किया गया कि अपीलांट अपीलाधीन नामान्तरकरण से प्रभावित पक्षकार नहीं है। यदि अपीलांट को उक्त भूमि के आवंटन से आपत्ति है तो आवंटन आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी। आवंटन आदेश के अस्तित्व में रहने के दौरान आवंटन के आधार पर दर्ज किये गये नामान्तरकरण को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे। भू–प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 से 2047 तक भूमि खसरा संख्या 194 रकबा 10 बिस्वा की किस्म बारानी सोयम सिवायचक दर्ज रिकार्ड रही है, जो आवंटन योग्य होने से लखा आ. मारू को आवंटित की गई थी। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसमें उक्त खसरा संख्या 194 रकबा 10 बिस्वा भूमि की किस्म रास्ता अंकित रही हो। वैसे भी पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इसलिए दौराने सिविल वाद नामान्तरकरण की कार्यवाही में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना विधिसम्मत नहीं है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अपने कथन के समर्थन में DNJ 2019 पेज 165, DNJ 2023(2) पेज 583, DNJ 2016(1) पेज 201, DNJ 2019 पेज 39 की नजीरें पेश करते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि ग्राम बहादुरपुरा के अपीलाधीन नामान्तरण सं.17 में अंकित कृषि भूमि खसरा संख्या 75 मीन रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा की किस्म राजकीय भूमि काबिल काश्त थी, उक्त भूमि मिसल नं. 27 दिनांक 19.05.1960 से लखा वल्द मारू मीना को आवंटनशुदा होने से राजस्व रिकार्ड में आवंटी के नाम खातेदारी में दर्ज की जाकर उक्त नामान्तरकरण सं.17 दिनांक 23.09.1975 तस्दीक किया गया। जिस पर अपीलांट को आपत्ति है कि उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित किया है कि दिसम्बर,2022 को जब रेस्पो. सं.1 लगायत 3 द्वारा अन्य काश्तकारों को उक्त रास्ते की भूमि में होकर आने जाने में अवरोध पैदा किया तथा उक्त भूमि उनके खाते में दर्ज होना बताया गया, तब अपीलांट द्वारा जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड की माह दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त नकलों के अवलोकन से नामान्तकरण संख्या 17 दिनांक 04.01.1978 लखा आ. मारू जाति मीना के पक्ष में खोले जाने तथा उसकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर खातेदार रेस्पो.सं.1 से 3 अंकित होने की माह दिसम्बर 2022 में जानकारी हुई।

पत्रावली पर उपलब्ध सिविल न्यायाधीश बून्दी के यहां विचारधीन वाद सं. 71/22 बउनवान गिर्राज वगै. बनाम घनश्याम वगै. के वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र की दिनांक 13.11.24 को जारी प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट सोहनलाल जो कि उक्त वाद में वादी संख्या–2 है, द्वारा दिनांक 18.08.2022 को पेश किये गये वाद पत्र की चरण संख्या 5 में ''प्रवितादी सं.1 व 2 भूमि खसरा सं.192, 193, 184 एवं 195 के खातेदार दर्ज होना'' अंकित किया है। जिसके आधार पर विवादित भूमि खसरा सं. 194 निजी खातेदारी में दर्ज होने की अपीलांट को दिनांक 18.08.2022 को जानकारी होना प्रमाणित है। वैसे उक्त आराजी 50 सालों से निजी खातेदारी में दर्ज रेकार्ड चली आ रही है।

अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार भी उसको अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी माह दिसम्बर,2022 को हो गई थी इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा 17 माह बाद यह अपील दिनांक 24.05.2024 को पेश की गई है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तरकरण सं.17 की प्रमाणित प्रति दिनांक 27.07.2022 को ही प्राप्त कर ली गई थी, जिसमें उक्त भूमि ख.सं. 194 रकबा 10 बिस्वा आवंटी लखा वल्द मारू मीना के पक्ष में खातेदारी दर्ज रेकार्ड होना अंकित है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होने के बाद भी 30 दिवस की निर्धारित समय सीमा में अपीलांट द्वारा इसे न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी गई। अन्दर मियाद अपील पेश नहीं करने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है। परिसीमा अधिनियम,1963 की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब के प्रत्येक दिन का युक्तियुक्त कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकार अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन प्रतिदिन का अपीलांट द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ 549 में प्रतिपादित है कि An

unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainty and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a party`s own inaction, negligence or laches. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया है कि Liberal approcah cannot be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay- Held, Application & appeal are liable to be dismissed.

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसमें गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अपीलांट पेश करने में पूर्णतः असफल रहा हैं। ऐसे में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जाती है। साथ ही तहसीलदार बून्दी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बहादुरपुरा के पुराने खसरा संख्या 75 मीन के मिलान क्षेत्रफलों का अवलोकन कर आवंटी लखा आ.मारू मीना को आवंटित भूमि 12 बीघा 12 बिस्वा के साबिक खसरा संख्या 75 मीन में नये खसरा संख्या 194 रकबा 10 बिस्वा सम्मिलित है या नहीं? बाबत राजस्व रिकार्ड का परीक्षण करे। यदि आवंटित भूमि खसरा संख्या 75 मीन में सम्मिलित नहीं होने के बावजूद खसरा सं. 194 रकबा 10 बिस्वा पर आवंटी लखा आ. मारू मीणा को खातेदारी अधिकार दिया जाकर नामान्तरकरण संख्या 17 तस्दीक किया जाना पाया जाता है तो उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में रेफरेंस की कार्यवाही अन्दर 60 दिवस प्रस्तुत की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी